दिनांक– 04.07.2014 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न श्रावणी मेला 2014 की तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा संलग्न।

कार्यवाही :–

श्रावणी मेला 2014 का शुभारंभ दिनांक–13.07.2014 को होना निर्धारित है, जिस तिथि को माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज में गंगा किनारे सिढ़ी घाट पर श्रावणी मेला का उदघाटन किया जायेगा एवं इस अवसर पर श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उपस्थित रहेंगे। उक्त उदघाटन सामारोह की सभी तैयारियां ससमय पूर्ण करने का आदेश जिला पदाधिकारी, भागलपुर को बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया। बैठक में सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा श्रावणी मेला से संबंधित तैयारियों का उल्लेख किया गया। सुलतानगंज में गंगा नदी से श्रद्धालुओं द्वारा गंगा जल लेकर पैदल देवघर तक यात्रा किया जाता है, जो लगभग 104 कि0मी0 है। उक्त राह में सुलतानगंज से धांधी बेलारी महाशिविर तक कुल– 15 कि0मी0 का पैदल सफर श्रद्धालुओं भागलपुर जिला क्षेत्र में किया जाता है। जिला पदाधिकरी के द्वारा बताया गया कि सुलतानगंज में गंगा घाट पर प्रतिदिन लगभग एक से डेढ़ लाख की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेकर प्रस्थान करेंगे। श्रद्धालुओं को गंगा किनारे एवं सुलतानगंज शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो इसके लिए आवश्यक ट्रैफिक व्यवस्था किये जाने का निदेश जिला पदाधिकारी, भागलपुर को दिया गया, साथ ही उन्हें यह भी निदेशित किया गया कि वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त संख्या में डंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे एवं पूरे शहर में स्वच्छता बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा बतलाया गया की सुलतानगंज नगर क्षेत्र में आवश्यक सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 600 सफाई कर्मियों को तीन पाली में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की गई है, जो दिनांक–12.07.2014 से प्रारंभ होकर 10.08.2014 तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव के द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर को निदेशित किया गया कि सुलतानगंज शहरी क्षेत्र में नगर परिषद् की ओर से हाईमॉक्सलाईट एवं यात्री सेड की व्यवस्था समय से कराना सुनिश्चित करें। बैठक में उपस्थित सचिव, नगर विकास विभाग को मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि वे नगर परिषद् सुलतानगंज को श्रावणी मेला से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनें हेतु विभाग के स्तर से आवंटन उपलब्ध करायेंगे।

2. जिला पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा बैठक में बतलाया गया की मुंगेर जिलान्तर्गत कॉवारियां पथ की कुल दूरी 26 कि0मी0 है, जिसमें सरकार द्वारा तीन धर्मशाला क्रमशः – रणगांव धर्मशाला, मनिया धर्मशाला एवं कुमरसार धर्मशाला निर्मित है। जिला पदाधिकरी, मुंगेर के द्वारा बतलाया गया की उक्त तीनों धर्मशालाओं की रंगाई–पोताई साफ–सफाई करा दी गई है। धर्मशाला में अस्थाई विधुत आपूर्त्ति की व्यवस्था की जा रही है। सभी शौचालयों एवं स्नानागारों को क्रियाशील किया गया है। जिला पदाधिकारी के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि विधि व्यवस्था की दृष्टि से सम्पूर्ण

कॉवारियां पथ को तीन सेक्टर में विभक्त कर दिया गया है, जिसमें वाहन एवं पैदल गस्तीदल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही पर्याप्त संख्या में नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है।

3. जिला पदाधिकारी, बांका के द्वारा बैठक में बतलाया गया की बांका जिला में कॉवारियां पथ की कुल लं0 65 कि0मी0 है। उनके द्वारा सूचित किया की बांका जिला के आरंभिक स्थल धौरी में एक बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा, जिसमें उक्त पथ में अवस्थित धर्मशालाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों को अंकित किया जायेंगा। विधि व्यवस्था एवं कॉवारियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में डंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। बांका जिला का कॉवारिया पथ का आंशिक भाग नक्सल प्रभावित है, जिसके कारण राज्य मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल एवं घुड़सवार दस्ता उपलब्ध कराने का अनुरोध जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा सूचित किया गया कि यात्रियों के आवसन स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, शौलचालय की संतोषजनक व्यवस्था, जलापूर्ति आदि की व्यवस्था की जा रही है। सभी तैयारियॉ समय से कर ली जायेगी।

4. बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के द्वारा बाबा गरीबनाथ एवं बाबा दूधनाथ से संबंधित कॉवारिया पथों पर की गई आवश्यक व्यवस्था एवं बाबा गरीबनाथ स्थान तथा दूधनाथ स्थान पर की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी देते हुए अतिरिक्त महिला पुलिस बल जिला को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5. अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण के द्वारा सूचित किया गया कि पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदि में श्रावणी मेला पूरे एक माह तक प्रभावी रहता है, जिसका फैलाव 10 कि0मी0 की परिधि में है। उनके द्वारा भी अरेराज में एवं कॉवारियों के पैदल यात्रा पथ में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी बैठक में दी गई।

6. बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, जमुई, बेगुसराय एवं लखीसराय के द्वारा भी अपने-अपने जिलों में श्रावणी मेला के अवसर पर की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। उनके द्वारा बतलाया गया कि बेगुसराय जिला के हरिगिरी धाम, लखीसराय के अशोकधाम एवं जमुई जिला के परल्याम बैद्यनाथ धाम में पूरे एक माह तक श्रावणी मेला का आयोजन होता है। संबधित जिला प्रशासन के द्वारा उक्त सभी स्थलों पर कॉवारियों की सुविधा हेतु आवश्यक सभी व्यवस्थाएँ की गई है।

7. बैठक में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा विभिन्न जिलों को श्रावणी मेला के सफल आयोजन हेतु उपावंटित की गई राशि की जानकारी मुख्य सचिव को दी गई, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0	मेला / जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	श्रावणी मेला, 2014, भागलपुर	58,00,000	58,00,000
2	श्रावणी मेला, 2014, बांका	35,70,000	35,70,000
3	श्रावणी मेला, 2014, मुंगेर	18,00,000	18,00,000
4	बाबा इन्द्रदमनेश्वर (अशोकधाम) श्रावणी मेला, 2014, लखीसराय	18,00,000	18,00,000
5	श्रावणी मेला, 2014, जमुई	10,00,000	10,00,000

6	बाबा गरीबनाथ महादेव मंदिर श्रावणी मेला, 2014, मुजफ्फरपुर	23,00,000	23,00,000
7	बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर श्रावणी मेला, 2014, मुजफ्फरपुर	13,00,000	13,00,000
8	बाबा हरिगिरीधाम श्रावणी मेला, 2014, बेगुसराय	18,00,000	18,00,000
9	अरेराज श्रावणी मेला, 2014, पूर्वी चम्पारण	2,30,000	2,30,000
	कुल	**1,96,00,000**	**1,96,00,000**

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बतलाया गया कि इसके अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार जिलों को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन उपलब्ध करायी जाएगी। विभाग के स्तर पर मेला के आयोजन एवं राजस्व कचहरी के रख–रखाव हेतु पर्याप्त आवंटन उपलब्ध है।

8. बैठक में उपस्थित पुलिस महानिदेशक के द्वारा बतलाया गया की भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिलों को मुख्यालस्तर से एवं राज्य के अन्य जिलों से पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही उक्त जिलों में महिला पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में की गई है। उक्त जिलों के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर, लखीसराय एवं पू0 चम्पारण जिला को भी एक–एक कम्पनी अतिरिक्त महिला पुलिस बल अन्य जिलों से प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। उक्त के अतिरिक्त बांका, भागलपुर एवं मुंगेर जिला क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु घुड़सवार पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।

मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं अपर समाहर्त्ताओं को अपने–अपने जिला में नियंत्रण कक्ष अलग–अलग स्थलों पर स्थापित करने का निदेश दिया गया, जो अनवरत कार्यरत रहेगा। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की मद्द की आवश्यकता होने पर नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मी उन्हें आवश्यकतानुसार सूचनाएँ उपलब्ध करायेंगे एवं मद्द करेंगे। सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे डाक बंम के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सम्पूर्ण श्रावणी मेला की अवधि में विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश की विशेष व्यवस्था किये जाने का निदेश दिया गया साथ ही मंदिर परिसरों में सी0सी0टी0भी0 कमरा भी लगाये जाने का आदेश दिया गया।

9. **सफाई एवं पेय जल व्यवस्था** :– मुख्य सचिव के द्वारा प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निदेशित किया गया कि वे आउटसोर्स के माध्यम से सुलतानगंज, सम्पूर्ण कॉवारिया पथ एवं उनके आवासन स्थलों पर सफाई व्यवस्था एवं शौचालय की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिसका पर्यवेक्षण लोक स्वास्थ अभियंत्रण के द्वारा किया जायेगा। मुख्य सचिव के द्वारा लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग से आवश्यक राशि जिला पदाधिकारी, भागलपुर, मुंगेर एवं बांका को समय से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग को आदेश दिया गया कि वे सुलतानगंज एवं सम्पूर्ण कॉवारिया पथ में आवश्यक संख्या में नया चापाकल लगाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी धर्मशाला में शुद्ध पेय जल की आपूर्त्ति हेतु आर0 ओ0 लगवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी

यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन स्थलों पर पेय जल की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, उन स्थलों पर टैकरों द्वारा पेय जल व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

10. **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था** :– मुख्य सचिव के द्वारा बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव को निदेशित किया गया कि वे सुलतानगंज एवं सम्पूर्ण कॉवारिया पथ में आवश्यक संख्या में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्त कर कॉवारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था करायेंगे। जिला पदाधिकारी, भागलपुर, बांका एवं मुंगेर के द्वारा महिला श्रद्धालुओं की चिकित्सा हेतु मुख्यलाय स्तर से अतिरिक्त महिला चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया। जिला पदाधिकारी, भागलपुर को निदेश दिया गया कि भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रही महिला इन्टर्स की प्रतिनियुक्ति महिला श्रद्धालुओं की चिकित्सा हेतु करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी जिला पदाधिकारियों/अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि वे पर्याप्त संख्या पूजा स्थलों एवं कॉवारिया पथ में मेडिकल कैम्प की स्थापना करेंगे, जो पूरे माह अनवरत क्रियाशील रहेगा। चिकित्सा कैम्पों पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति की जायेंगी एवं पर्याप्त मात्रा में दावा की उपलब्धता जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया कि वे कॉवारियों के विश्राम स्थलों एवं कॉवरिया पथ में संचालित दुकानों में उपलब्ध खाद्य पदाथों की जाँच फुड इन्स्पेक्टर से नियमित रूप से कारायेंगे ताकि अशुद्ध एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की विक्री संभव नहीं हो। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि को अन्य जिलों से भी फुड इन्स्पेक्टर्स की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे ताकि आवश्यकतानुसार उनकी सेवा उपलब्ध हो सके।

बांका जिला क्षेत्र में सुईया बन क्षेत्र से गुजरने वाले कॉवारिया पथ पर कभी–कभी सर्प काटने की घटना घटती है, जिसके लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में सुईयां के मेडिकल कैम्प में सर्प काटने से संबंधित चिकित्सा की व्यवस्था की जाय।

11. **विद्युत व्यवस्था** :– बैठक में उपस्थित श्री आर लक्षमणन, एम0डी0 एस0बी0पी0डी0एल0 के द्वारा बतलाया गया कि मुख्यालय स्तर से भागलपुर, मुंगेर, बांका एवं अन्य संबंधित जिलों को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति पूरे माह तक किये जाने की व्यवस्था की गई है। जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे विधुत आपूर्ति व्यवस्था आवाध रूप से जारी रखने हेतु आवश्यक संख्या में जनरेटर की व्यवस्था कॉवारियों के विश्राम स्थलों पर सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं हो। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था से विधि व्यवस्था को भी नियंत्रित करने में सहायक होगा।

12. **अन्यान्न** :–

(क) जिला पदाधिकारी, मुंगेर, भागलपुर एवं बांका को निदेशित किया गया कि वे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से आवश्यक समन्वयन स्थापित कर कॉवारिया पथ के श्रद्धालुओं के आवासन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें स्थानीय कालाकारों की भी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।

(ख) जिला पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा बतलाया गया कि सुलतानगंज घाट पर आवश्यक निर्माण कार्य हेतु कुल– 22.00 लाख रूपया की प्राक्लित राशि से योजना तैयार किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा उक्त राशि जल संशाधन विभाग से विमुक्त करने का निदेश दिया गया।

(ग) जिला पदाधिकारी, भागलपुर को निदेशित किया गया कि वे सुलतानगंज घाट पर गोताखोरों एवं एन0डी0आर0एफ0 की टीम की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में के उनकी सेवा ली जा सके।

(घ) जिला पदाधिकारी, पटना यह सुनिश्चित करेंगे कि मोकामा बाई पास से बड़ी वाहनों का प्रवेश देवघर/सुलतानगंज के रास्ते में नहीं हो।

(ड़) जिला पदाधिकारी, भागलपुर सुलतानगंज में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगे जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कॉवरियों को आने वाले ट्रेनों की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही उन्हें अन्य सूचना भी उपलब्ध करायी जायेगी।

ह0/–
(हुकुम सिंह मीणा)
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव,
बिहार।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–9/सै0–7–मेला बैठक–04/2013 332(9)**रा0 पटना–15, दिनांक–**11-7-14

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/गृह विभाग/ऊर्जा विभाग/भवन निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पर्यटन विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/जल संसाधन विभाग/अध्यक्ष, बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत भवन, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/मुंगेर प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/समाहर्त्ता पटना/भागलपुर/मुंगेर/बांका/जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/मुजफ्फरपुर एवं पू0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
अपर सचिव,

ज्ञापांक–9/सै0–7–मेला बैठक–04/2013 332(9)**रा0 पटना–15, दिनांक–**11-7-14

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
अपर सचिव,

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–04.07.2014 को अपराह्न 4.30 बजे श्रावणी मेला, 2014 के तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की उपस्थितिः–

क्र0	नाम	पदनाम	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1				
2				
3	रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वि[illegible]	9835020477	[signature]
4	[illegible]	[illegible]	9473191331	[signature]
5	आमिर सुबहानी	प्रधान सचिव गृह विभाग		[signature]
6	संदीप पौण्डरीक	सचिव नगर विकास		[signature]
7	आर. लक्ष्मणन	MD, SBPDCL		[signature]
8	[illegible] कुमार	[illegible]		[signature]
9	डा० अखुरेन्द्र किशोर	निदेशक प्रमुख स्वा० विभाग		[signature] 4.7.14
10	ईश्वर चन्द्र शर्मा	अपर समाहर्त्ता कैमूर	9473191392	[signature] 4.7.14
11	सूर्य नारायण सिंह	अपर समाहर्त्ता लखीसराय	947319123[illegible]	[signature] 04-07-14
12	निशीथ वर्मा	वरीय उप समाहर्त्ता जमुई	8757894141	[signature] 4/7/14
13	सुभाष [illegible]	अपर समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर	9431208428	[signature] 4/7/14
14	[illegible]	अपर समाहर्त्ता मोतिहारी	9473191302	[signature] 4/7/14
15	[illegible]रेन्द्र कुमार [illegible]	अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय	94731-91413	[signature] 04/07

क्र0	नाम	पदनाम	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
16	राम चन्द्र मल्लिक	उपसचिव	9835003360	[signature]
17	उमा शंकर प्रसाद	निदेशक, पर्यटन	9471006703	[signature] 4/7/14
18	विपिन कुमार सिंह	निदेशक प्रथम मन्त्रालय	9431602979	[signature]
19	Saket kumar	DM Banka	9473191387	[signature] 4/7/14
20	Ramesh Kumar	Chief Engineer B.C.D	9431442170	[signature] 4-07-14
21	Amarendra Pd. Singh	D.M. Munger	9473191391	[signature] 4.7.14
22	Satish Ch. Mishra	Spl. Officer P.H.E.D.	9835672103	[signature] 4/7/14
23	Anshuli Arya	Principal Secy PHED	9471008669	AA
24	B. Kartikey	D.M. Bhagalpur	9473191381	[signature]
25				
26				
27				
28				
29				
30				